



प्रेषक,

गुन्जन दुबे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासना

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ

कृषि अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक:: 03 जून, 2026

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक 'पर ड्राप मोर क्राप' के उप घटक अदर इन्टरवेंशन के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन हेतु खेत-तालाब योजना में लाभार्थी कृषकों का चयन/बुकिंग एवं भुगतान की कार्ययोजना के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं हेतु आनलाइन पंजीकरण, लाभार्थी चयन के द्वारा अनुदान के डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर(डीबीटी) तथा अन्य भुगतानों के विषय में शासनादेश संख्या-202/2017/543/12-5-2017-100(61)/12टीसी, दिनांक 26.05.2017 के द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में 'पर ड्राप मोर क्राप' के उप घटक अदर इन्टरवेंशन के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन हेतु खेत-तालाब योजना में कृषकों का चयन एवं अनुदान भुगतान की डीबीटी व्यवस्था के संबंध में शासनादेश संख्या-1593956/12-5099/1083/2019, दिनांक 23.03.2021 एवं शासनादेश संख्या-614/12-5099/1083/2019-सा०-100(10)/2015, दिनांक 27.04.2023 द्वारा संशोधित प्रक्रिया एवं निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में आपके पत्रांक-भू०सं०/श०एवंवा०/खेत तालाब/कार्ययोजना/44/2026-27, दिनांक 14.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक 'पर ड्राप मोर क्राप' के उप घटक अदर इन्टरवेंशन के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन हेतु खेत-तालाब योजना का क्रियान्वयन पी0डी0एम0सी0-2025 की निर्गत गाइडलाइन के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्नानुसार नीतियों/निर्देशों/मदों में कार्य किया जायेगा :-

1. जल संचयन अन्तर्गत खेत-तालाब का निर्माण जिसके नान लाइन तालाब पर 50 प्रतिशत अधिकतम (लाइन युक्त तालाब के अनुदान रू0 75000 से 30 प्रतिशत कम) रू0 52500 का अनुदान निर्धारित है।

2. वाटर लिफ्टिंग डिवाइस अन्तर्गत पम्पसेट (electric/डीजल) जिस पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 15000.00 प्रति इकाई अनुदान निर्धारित है।

3. चयन प्रक्रिया खेत-तालाब

- खेत-तालाब योजनान्तर्गत कुल भौतिक लक्ष्य हेतु वह कृषक पात्रता की श्रेणी में आयेगें, जिनके द्वारा आवेदन तिथि तक विगत 07 वर्षों में उद्यान/कृषि विभाग के माध्यम से अपने खेत पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गयी हो तथा वह वर्तमान में चालू स्थिति में हो साथ ही वह भी कृषक पात्रता श्रेणी में आयेगें, जिन्होंने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित नहीं की है परन्तु अब खेत-तालाब के निर्माण के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के इच्छुक है। ऐसे कृषकों को खेत-तालाब का अनुदान तभी देय होगा जब वह सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध कराएंगें।
- कुल लक्ष्य का 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति को तथा 50 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषकों का होना आवश्यक है। उपरोक्त में महिला कृषकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करायी जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार विकासखण्डवार/इकाईवार/जनपदवार लक्ष्य योजनाधिकारी द्वारा पोर्टल पर फीड किया जाएगा। जिन जनपदों में एक से अधिक इकाईयां स्थापित हैं वहां के उप कृषि निदेशक (भू0सं0) कार्य के अनुसार विकासखण्डवार इकाईयों को कार्य आवंटित करेंगे।
- चयन प्रक्रिया हेतु अप्रैल के द्वितीय पक्ष में पोर्टल पर पंजीकरण प्रारम्भ किया जायेगा तथा समय-समय पर ई-लॉटरी/ऑटो कन्फर्म के माध्यम से लाभार्थी चयन का कार्य पूर्ण करते हुये निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सके।

4. अनुदान भुगतान

- खेत-तालाब निर्माण हेतु कृषकों को देय अनुदान का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा।
 - प्रथम किस्त का भुगतान कृषक को निर्धारित न्यूनतम मानक आकार के तालाब की खुदाई (मृदा कार्य) का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त किया जायेगा, देय अनुदान की 75 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में डी0बी0टी0 के माध्यम से पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए कृषकों के खाते में दी जायेगी।
 - प्रथम किस्त के भुगतान के पूर्व MB(Measurement Book) की प्रति एवं मृदा कार्य पूर्ण (दरेशी सहित) होने की फोटो समान कोण से भूमि संरक्षण अधिकारी को अपलोड करना होगा साथ ही खेत-तालाब के मृदा कार्य पूर्ण होने का सत्यापन भूमि संरक्षण इकाई के अधिकारी/कार्मिकों के अतिरिक्त कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक तथा जिला कृषि अधिकारी के अधीन अन्य कार्मिकों से भी कराया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर सत्यापन विकास खण्ड के अन्य अधिकारियों से भी कराया जा सकता है।
 - द्वितीय किस्त(शेष 25 प्रतिशत अनुदान) की धनराशि का भुगतान पक्का कार्य (इनलेट) पूर्ण करने एवं इसकी MB(Measurement Book) सत्यापन संबंधी अभिलेख सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त किया जायेगा। द्वितीय/अन्तिम किस्त की अवमुक्ति से पूर्व जियो टैगिंग/जियो रिफ्रेसिंग अनिवार्य होगी तथा पोर्टल पर भी यह व्यवस्था होगी कि जियो टैगिंग/जियो रिफ्रेसिंग एवं फोटो अपलोड होने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही पूर्ण सके। खेत-तालाब का सत्यापन भूमि संरक्षण इकाई के अधिकारियों व भूमि संरक्षण से इतर अन्य अधिकारियों द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा। द्वितीय किस्त के भुगतान के उपरान्त एम0आई0एस0 फीडिंग भी एक सप्ताह के अन्दर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।
5. खेत-तालाब हेतु पी0डी0एम0सी0 अदर इन्टरवेंशन गाइडलाइन के अनुरूप नॉन लाइन तालाब निर्माण के लिये अनुदान हेतु 50 प्रतिशत धनराशि जिसकी अधिकतम सीमा रू0 52500.00 अनुमन्य है। लाभार्थी द्वारा निर्धारित मानक के खेत तालाब का निर्माण पक्के कार्यों सहित जिसका आकार भूमि की उपलब्धता एवं कृषक की आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 03 मी0 की गहराई पर निर्धारित मृदा कार्य एवं न्यूनतम 02 मी0 (रिचार्ज पिट का निर्माण आवश्यक) की गहराई पर कुल मृदा कार्य के अनुसार खुदाई करायी जायेगी। परिस्थितियों का आंकलन एवं परीक्षण सक्षम स्तर (उप कृषि निदेशक, भू0सं0) से करते हुये तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
 6. कृषक स्वयं की लागत से मानक आकार 22×20×3मी0 से बड़े तालाब का निर्माण करा सकते हैं, परन्तु अनुदान की धनराशि अधिकतम रू0 52500.00 ही अनुमन्य होगी। अनुदान की धनराशि के भुगतान से पूर्व फॉर्मर आई0डी0 बनाया जाना अनिवार्य है।
 7. किसी एक इकाई के लिये निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पंजीकृत किसानों की सूची में बुकिंग के उपरान्त ई-लॉटरी/ऑटो कन्फर्म के सिद्धान्त पर खेत-तालाब की खुदाई का कार्य कराया जायेगा।
 8. खेत-तालाब निर्माण हेतु स्थल चयन एवं भुगतान की प्रक्रिया में भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा शासन स्तर से पूर्व में निर्धारित समस्त निर्देशों का पालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

9. खेत-तालाब निर्माण हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय निर्देश एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति के स्तर से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

10. पम्पसेट अनुदान हेतु लाभार्थी चयन प्रक्रिया:-

- योजनान्तर्गत केवल वही लाभार्थी पात्र होंगे जिन्होंने पंजीकरण तिथि तक उद्यान विभाग के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कर लिया है एवं खेत-तालाब योजनान्तर्गत तालाब निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है।
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के संचालन हेतु योजनान्तर्गत 05 एच0पी0 एवं इससे अधिक क्षमता के ISI Mark पम्पसेट का क्रय कृषक द्वारा करते हुये बिल प्रस्तुत किया जायेगा एवं भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा सत्यापन व भुगतान प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
- पम्पसेट का सत्यापन वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए अथवा अवर अभियंता के द्वारा किया जायेगा एवं सत्यापन के उपरान्त सत्यापन रिपोर्ट फोटो सहित पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

11. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:-

1. विभागीय पोर्टल पर खेत-तालाब की बुकिंग आरम्भ करने के पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
2. किसानों को खेत-तालाब हेतु ऑनलाइन टोकन बुक करने की व्यवस्था पोर्टल पर दी जायेगी, किन्तु कन्फर्म टोकन लक्ष्य की सीमा तक ही जनरेट होंगे।
3. पोर्टल पर बुकिंग कन्फर्म होने के 15 दिन के अन्दर टोकन मनी की धनराशि एवं डाक्यूमेन्ट अपलोड (खतौनी, शपथ पत्र, खेत के साथ फोटो) करने होंगे। यदि निर्धारित समय में टोकन मनी की धनराशि एवं डाक्यूमेन्ट अपलोड नहीं किये जाते हैं तो आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं प्रतीक्षा सूची से अगले लाभार्थी का टोकन स्वतः कन्फर्म हो जाएगा। तालाब पूर्ण होने के पश्चात् टोकन मनी की धनराशि कृषक के खाते में वापस भेज दी जायेगी।
4. बुकिंग के उपरान्त किसान द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक अभिलेख अपलोड न करने की स्थिति में टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी।
5. खेत-तालाब हेतु टोकन मनी की धनराशि ₹0 1000 होगी।
6. किसान द्वारा उक्त अभिलेख अपलोड करने के 15 दिन के अन्दर भूमि संरक्षण अधिकारी/सत्यापनकर्ता द्वारा कृषक की फॉर्मर आई0डी0 की पुष्टि करते हुये स्थलीय निरीक्षण कर तालाब बनाने हेतु उपयुक्त भूमि स्थल की पुष्टि / सत्यापन पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जो पोर्टल पर प्रदर्शित होगी तथा किसान को खेत-तालाब बनाने का एस0एम0एस0 भी पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जायेगा। यदि मैसेज नहीं पहुंचता तो भी पोर्टल पर प्रदर्शित स्थलीय सत्यापन की सूचना पर्याप्त होगी।
7. भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा आवेदित भूमि स्थल, खेत-तालाब बनाने हेतु उपयुक्त पाये जाने की पुष्टि / सत्यापन पोर्टल पर करने के 30 दिन के अन्दर किसान को तालाब खुदवाना होगा।
 - तालाब खुदाई की फोटो भी कृषक द्वारा पोर्टल पर निर्धारित 30 दिन के अन्दर अपलोड की जायेगी। जिसकी पुष्टि भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा की जायेगी।
 - उक्त अवधि में तालाब खुदाई करा कर कृषक द्वारा फोटो अपलोड न करने की स्थिति में टोकन / आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
 - उपरोक्त के अतिरिक्त मौसम की प्रतिकूलता एवं अन्य परिस्थितिजन्य कारणों से निर्धारित अवधि के अन्दर तालाब की खुदाई न होने पर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर ही परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए पोर्टल पर अवधि विस्तार (अधिकतम 30 दिन) हेतु संस्तुति की जा सकेगी।
8. कृषकों का चयन “ई-लॉटरी/ऑटो कन्फर्म” विधि से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होना है। कोई भी किस्त देने से पूर्व चयन सूची का जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन अनिवार्य रूप से ले लिया जायेगा। इसके सम्पन्न न होने पर उप कृषि निदेशक (भू0सं0)/भूमि संरक्षण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9. पोर्टल पर सम्बन्धित अभिलेख यथा नक्शा, सर्वे प्रपत्र, एम0बी0, फील्ड बुक तथा अन्य अभिलेख पूर्व दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण कराये जायें तथा तकनीकी अनुमोदन मण्डलीय उप कृषि निदेशक(भू0स0) से पूर्ववत लिया जायेगा।
10. उपरोक्तानुसार समस्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए इकाईवार निर्धारित लक्ष्यों की समयान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करने हेतु भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपरोक्त नीतियों / निर्देशों एवं नवीन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 2- प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासना।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 6- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 7- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
- 8- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करते हुए इसे कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाए तथा 02 दिन के पश्चात इस संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आवश्यक निर्देश दिये जाए।
- 9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त अपर कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ।
- 11- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 12- समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 13- समस्त उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, उत्तर प्रदेश।
- 14- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 15- समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।